139

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि.ग. 2732 - II-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

श्रीमती कौशिया पत्नी श्री भागीरथ आदिवासी
निवासी – ग्राम मजरा रामनगर तहसील खनियाधाना जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदिका

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री ______ द्वारा आज दि. 16.8.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/2015–16/अ–21 (1) में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर हल्का नं. 19 पनिहारा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे नं. 503 रकवा 2.220 है0 है। उक्त भूमि हल्लू पुत्र रमुआ कोशिया पुत्री रमुआ के सामलाती होकर आवेदिका का 1/2 हिस्सा है। आवेदिका के नाम ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना में एक अन्य भूमि सर्वे नं. 455 रकवा 0.980 है0 है आवेदिका अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती है, लेकिन खर्च की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये भूमि सर्वे नं. 503 रकवा 2.220 है0 में से 1/2 हिस्से का 1.110 है0 (5 बीघा 11 विस्वा) को विक्रय की अनुमति लेकर भूमि विक्रय कर शेष बची भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विक्रय की अनुमति लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–शिवपुरी

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2732/एक/2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.8.16	यह निगरानी आवेदिका द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 24/2015–16 /अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका द्वारा जालमपुर हल्का नं. 19 पनिहारा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे नं. 503 रकवा 2.220 है0 है। उक्त भूमि हल्लू पुत्र रमुआ कोशिया पुत्री रमुआ के सामलाती होकर आवेदिका का 1/2 हिस्सा है। आवेदिका के नाम ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना में एक अन्य भूमि सर्वे नं. 455 रकवा 0.980 है0 है आवेदिका अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती है, लेकिन खर्च की कोई व्यवस्था नही है इसलिये भूमि सर्वे नं. 503 रकवा 2.220 है0 में से 1/2 हिस्से का 1.110 है0 (5 बीघा 11 विस्वा) को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी	

प्रस्तुत की है।

3— आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम भूमि सर्वे नं. 503 रकबा 2.220 है0 में से 1/2 हिस्से का 1.110 है0 (5 बीघा 11 विस्वा) भूमिविक्रय की अनुमति चाही गयी है क्योंकि आवेदिका की शेष बची भूमि में सुधार कर तथा उसे कृषि योग्य बनाने हेतु धन की आवश्यकता है, किन्तु कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार न कर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है, और उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5— विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता से भूमि विक्रय की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी है। इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि में से सर्वे नं. 503 रकबा 2.220 में से 1/2

रकवा 1.110 है0 (5 बीघा 11 विस्वा) भूमि विक्रय करना चाहती है। आवेदिका के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् अन्य सर्वे नं. 455 रकवा 0.980 है0 भूमि शेष बचेगी। इस प्रकार आवेदिका भूमिहीन नहीं होगी एवं बची हुयी भूमि को कृषि योग्य बना सकेगी। बल्कि उनके जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेदिका की पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा की जा रही है, वह विधिवत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 अपास्त किया जाकर आवेदिका को ग्राम ग्राम जालिमपुर तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे नं. 503 रकवा 2.220 है0 में से 1/2 रकवा 1.110 है0 (5 बीघा 11 विस्वा) की भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य